

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र. कैम्प भोपाल  
FBR/निगरानी/भोपाल) श्र.श/ 2018/2421 62

निगरानी प्रकरण क्र:-...../2018

रामगोपाल आत्मज स्वर्गीय श्री रामरतन,  
आयु लगभग 55 वर्ष,  
निवासी ग्राम मुगालिया छाप,  
विकास खण्ड फन्दा, तहसील हुजूर,  
जिला भोपाल (म.प्र.)

विरुद्ध


भगवान सिंह आत्मज स्वर्गीय श्री नन्दू लाल,  
आयु 56 वर्ष,  
निवासी ग्राम मुगालिया छाप,  
विकास खण्ड फन्दा, तहसील हुजूर,  
जिला भोपाल (म.प्र.)

122  
... निगरानीकर्ता  
अधिकारी श्री रमेश कुमार  
दाता आज दिनांक 28/3/18  
को पेश।

अधिकारी  
... अनावेदक

### निगरानी आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) के अपील प्रकरण क्र:-228/अपील/2016-17, आदेश दिनांक 28/02/2018 से व्यथित, क्षुब्ध एवम् परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवम् आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-




*[Signature]*

**न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2018/2421

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री एम0एल0मिश्रा व अनावेदक अधिवक्ता श्री संजय व अनावेदक स्वयं उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गोयल)</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p>	